(d) and (e) The Government has accorded the highest priority to the control and stabilisation of prices of essential commodities. Apart from certain long term measures to increase the production of essential goods, imports of items which are in short supply like pulses and onions have been placed under DGL at zero percent import duty and duty on the import of edible oils has been reduced to 15 per cent from 25 percent in order to augment the total availability of these items. Export of onions and pulses has been banned. Some of the essential commodities like rice wheat, palmolein and kerosene are also supplied through the outlets of public distribution system at below market prices. Stringent actions are being taken against hoarders, black marketeers and other indulging in unfair trade practices under the Essential Commodities Act and Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act by the State/UT Governments.

Statement

Percentage variation in the wholesale Price Index Numbers for selected essential commodities for the last six months ending 14.11.98

Commodity	Percentage variation
Rice	12.2
Wheat	10.0
Gram	26.4
Arhar	46.8
Potatoes	85.9
Onion	218.5
Tea	2.1
Sugar	-0.4
Salt	0.7
Vanaspati	0.3
Mustard Oil	32.3
Groundnut Oil	11.6

Grievances of oil Mill Owners

675. SHRIMATI URMILABAN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state;

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "oil millers set deadline for Government" published in "The Sunday Times" (Ahmedabad edition) dated 8th November, 1998;

(b) if so, the details and facts thereof; and

(c) the steps taken by Government to sort out the grievances of the Oil mill owners?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV) (a) Yes, Sir.

(b) Oil millers in Saurashtra had protested against alleged restrictions placed by the Gujarat State Government on movement of groundnut, groundnut oil, stock control and prices of groundnut oil.

The Association warned that oil millers would resort to forceful export of groundnut oil after that date. In case the State Government termed the action of oil millers illegal, the association would be forced to go to court. The Association stated that if even after this, the Government adopted delaying tactics in the court, the oil millers would have no option but to declare a lockout in the mills.

The Gujarat Government has reported that under an Order issued on 31.3.1998 under the Gujarat Essential Articles (Licensing Control and Stock Declaration) Order, 1981, any sale or movement of edible oils of oilseeds outside the State had to be intimated to the District Collector forty-eight hours in advance.

(c) The State Government held regular meetings with the oil millers/dealers Associations. Inspections were intensified to detect and curb malpractices. Every effort was made to detect tax evasion, as also to bring down the rapidly increasing prices to a reasonable level. A Committee of seven Ministers has been constituted on 14.11.1998 to discuss and resolve important, as well as suddenly emerging, issues of essential commodities.

कम उत्पादन के बावजूद प्याज का निर्यात

676. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में चालू वर्ष के दौरान प्याज का उत्पादन कम होने के बावजूद प्याज के निर्यात के लिए स्वीकृति दे दी गयी थी,

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान प्याज के निर्यात पर प्रतिबन्ध था,

(ग) यदि हाँ, तो चालू वर्ष के दौरान प्याज के निर्यात की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं, और

(घ) निर्यात के लिए प्याज के आवंटन की कुल मात्रा कितनी है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) प्याज के निर्यात को फरवरी, 1998 में अस्थायी रूप से रोक दिया गया था और प्याज की खरीफ की फसल की आवक के कारण 4.3.98 से इस रोक को हटा लिया गया था। प्याज के निर्यात पर दुबारा फिर 8.10.98 से 31.1.99 तक के लिए रोक लगा दी गयी है।

(ग) 1 फरवरी, 98 में प्याज के निर्यात पर लगायी गयी अस्थाई रोक को मार्च, 98 में प्याज की रबी फसल की आवक के कारण हटा दिया गया था, ताकि निर्यातकों की वचनबद्धताओं को पूरा किया जा सके और किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। तथापि, 1998-99 की प्याज की खरीफ की फसल को हुई क्षति का आकलन करने के बाद निर्यात पर लगायी गयी रोक को फिर से बहाल कर दिया गया है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान अप्रैल से अक्तूबर, 1998 के बीच में कुल 2,13 लाख मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया गया, जबकि अप्रैल-अक्तूबर, 1997 के दौरान 3.18 लाख मीट्रिक टन का निर्यात किया गया था। 18.10.98 से प्याज का कोई निर्यात नहीं किया गया।

देश में प्याज की माँग तथा उत्पादन

677. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1996-97 के दौरान प्याज की घरेलू आवश्यकता को नजरअंदाज करते हुए 385.6 करोड़ रुपये के मूल्य के प्याज का निर्यात किया गया था, जबकि प्याज के कुल उत्पादन का मूल्य 642.9 करोड़ रुपए था,

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं:

(ग) क्या यह भी सच है कि चालू वर्ष 1998 के दौरान देश में प्याज की कुल आवश्यकता संबंधी एक आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो आवश्यकता की मात्रा कितनी है तथा किन-किन स्रोतो से यह आवश्यकता पूरी किये जाने की संभावना है और प्रत्येक स्रोत से कितनी-कितनी मात्रा उपलब्ध होगी?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के दौरान प्याज की कुल 5.13 लाख मी.टन मात्रा का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 331.63 करोड़ रुपए था। 1996-97 के दौरान प्याज के 44.3 लाख मी. टन मात्रा का उत्पादन किया गया। प्याज के कुल उत्पादन में से लगभग 75 प्रतिशत का उपयोग घरेलू खपत के लिए, लगभग 10-12 प्रतिशत का उपयोग निर्यात के लिए, 2-3 प्रतिशत का उपयोग बीज और प्रसंस्करण के लिए किया जाता है तथा 10-12 प्रतिशत मात्रा सूखने और विकृत होने आदि के कारण बर्बाद हो जाती है।

(ग) और (घ) देश में प्याज की कुल आवश्यकता का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। वर्ष 1998-99 के दौरान प्याज का अनुमानित उत्पादन लगभग 44.5 लाख मी. टन होने की संभावना है।

दिल्ली में नमक की बिक्री

678. **श्री शिबू सोरेन:** क्या **खाद्य उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार खाद्य पदार्थों के बाजार-भाव प्रतिदिन देश में 37 स्थानों से एकत्र किये जाने के बाद अगले दिन दिल्ली पहुंचते हैं,

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में नमक का भरपूर भंडार होने के बावजूद 25 अक्तूबर से 3 नवम्बर, 1998 के बीच देश में नमक 30 रुपये से 60 रूपये किलो की दर से बेचा गया,

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) 18 केन्द्रों